<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10/08/2023</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम में हुई 'नौकरी के लिए नकद' घोटाला (कैश फॉर जॉब्स स्कैम') के संबंध में 09.08.2023 को करूर (तमिलनाडु) में तलाशी अभियान चलाया। प्राथमिक आरोपी, वी. सेंथिल बालाजी, जोकि पूर्व में परिवहन मंत्री के रूप में कार्यरत थे, को पहले ही धन शोधन में संलिप्त होने के कारण 14.06.2023 को गिरफ्तार किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य आरोपी के रूप में वी. सेंथिल बालाजी को कैश फॉर जॉब्स स्कैम में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी), चेन्नई द्वारा दायर तीन प्राथमिकी (एफआईआर) और आरोप पत्र (चार्जशीट) के आधार पर जांच शुरू की। वी. सेंथिल बालाजी ने अपने भाई आरवी अशोक कुमार और उनके व्यक्तिगत सहायकों बी शनमुगम और एम कार्तिकेयन के सहयोग से नकदी के बदले नौकरियां दी। इससे योग्य उम्मीदवारों की कीमत पर दूसरों को नौकरियां प्रदान की गईं।

जांच के दौरान, यह पता चला कि सलेम बाईपास रोड, आंदनकोविल, करूर में स्थित 2.49 एकड़ भूमि का एक बड़ा टुकड़ा श्रीमती पी लक्ष्मी (आरवी अशोक बालाजी की सास) द्वारा श्रीमती अनुराधा रमेश से केवल 10 लाख रुपये के लिए अधिग्रहित किया गया था, जबकि भूमि का वास्तविक मूल्य 30 करोड़ से अधिक है। हालांकि, श्रीमती पी लक्ष्मी के आय स्रोत की जांच करते समय, यह पता चला कि उनके पास आय के किसी भी विश्वसनीय साधन नहीं था । जमीन खरीद के लिए 10 लाख रुपये हासिल करने के लिए पुराने गहने बेचने का उनका दावा मनगढ़ंत साबित हुई। इसके बाद, यह भूखंड सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार की पत्नी श्रीमती निर्मला को उपहार में दे दिया गया।
आगे की जांच से यह खुलासा हुआ कि भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष राशि का भुगतान श्रीमती अनुराधा रमेश को नकद में किया गया था। बदले में, यह नकद, श्रीमती अनुराधा रमेश द्वारा उसी क्षेत्र में एक और भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निवेश किया गया था।

इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, उक्त संपत्ति को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1-ए) के तहत रोक(फ्रीज़)आदेश लगा दिया गया है|

आरवी अशोक बालाजी, श्रीमती निर्मला और श्रीमती पी लक्ष्मी को कई सम्मन जारी किए जाने के बावजूद ,वे उपस्थित नहीं हुए, जिससे चल रही जांच में उनकी असहयोगिता को दर्शाता है।